न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 34 / 2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025 / 84

उनवान

सत्यप्रकाश आत्मज रामरतन खण्डेलवाल निवासी 60–ए तलवंडी कोटा।

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. गीताबाई पत्नी रमेशचन्द खण्डेलवाल निवासी 3 एन–7 तलवण्डी,कोटा।
2. इन्द्राबाई पत्नी पुरूषोतम खण्डेलवाल एल.आई.सी. वाले निवासी उषा कोलोनी पावर हाउस रोड भवानीमण्डी,जिला झालावाड
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद व नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ,जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री तैजमल जैन (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2– श्री रामकल्याण शर्मा (अभिभाषक रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार सुल्तानपुर आदेश दिनांक 9.04.2025 अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय_ दिनांकः– 17/12/2025

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण का आदेश करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन निर्णयों का उल्लेख किया है वे गोदपुत्र से संबधित है तथा इन निर्णयों में काश्तकारी भूमि के संबध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद के आदेश दिनांक 27.11.2014 जो पक्षकारो के मध्य आज तक प्रभावशील है जिसमे रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश दे रखे है तथा ऐसे आदेश की विघमानता मे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने की त्रुटि की जबकि कब्जा आज भी बदस्तूर अपीलान्ट का चला आ रहा है।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे,तथा राजस्व रेकार्ड पूर्ववत किया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये समन्न की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामकल्याण शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया।

बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे। इसी प्रकार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे कोई त्रुटि नही है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में किया गया है। अतः अपील खारिज फरमावे।

पत्रावली में अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 9.4.2025, माननीय उच्च न्यायालय रिट संख्या 137/89 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.20218 एवं माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन संख्या 5604/2018 में पारित निर्णय दिनांक 1.2.2024 एवं रिव्यू रिट पिटीशन 1178/2024 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 की पालना में पारित किया गया है। जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

अतः अपील अपीलान्ट इसी स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा